राजस्थान विधान सभा

आठवां सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2017

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री मोहनलाल गुप्ता एवं श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य, विधान सभा, आपातकाल के दौरान सीआरपीसी की धारा-107, 116 एवं 151 के तहत जेल गये सत्याग्रहियों को मीसा बंदियों की भॉति पैंशन एवं चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री केसाराम चौधरी, सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2016-2017, समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री हीरालाल नागर, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सांगोद में संस्कृत महाविद्यालय खुलवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(II) श्रीमती राजकुमारी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के चिकित्सालय में ब्लड बैंक खोले जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(III) श्री ललित कुमार, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र शाहाबाद (जिला-बारां) के समरानियां स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(IV) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (जिला-अजमेर) की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय –अराई में बजट वर्ष 2017-2018 में सिंचाई विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय शीघ्र स्थापित करने की स्वीकृति जारी करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(V) सुश्री कीर्ति कुमारी, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में श्याम सागर बांध का जीर्णोद्धार करवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

जारी..2..

5. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2016-2017 (द्वितीय संकलन) पर मतदान एवं पारण

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2016-2017 (द्वितीय संकलन) मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

6. विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2017

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-1) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-6)	वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

7. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

क्र.सं.	मांग संख्या		मुख्य शीर्षक
1.	37	-	कृषि
2.	39	-	पशुपालन एवं चिकित्सा
3.	36	-	सहकारिता

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 17 मार्च, 2017